संख्या-72/2016/662/22-4-16-105(ब)/08टीसी

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 06 जून,2016

विषय- प्रदेश की कारागारों की तलाशी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु कारागारों में मल्टीजोन डोरफ्रेम तथा हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13881/आधु0-1/मेटल डिटेक्टर/2015,दिनांक-10.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों की तलाशी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के लिए 32 कारागारों में मल्टीजोन डोरफ्रेम तथा हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर स्थापित करने हेतु 32 अदद मल्टीजोन डोरफ्रेम एवं 64 अदद हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर की स्थापना हेतु कुल रू0 40,00,000/- (रूपया चालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त मल्टीजोन डोरफ्रेम तथा हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

(2) उक्त मल्टीजोन डोरफ्रेम तथा हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर का क्रय, भण्डार क्रय नियमों एवं संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा और इसका दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2016 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(4) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत पूंजी लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण एवं संयंत्र" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-72/2016/662(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।